पी. सुशील देवी

बनाम

केरल लोक सेवा आयोग एवं अन्य

फरवरी 12, 1998

(श्रीमती सुजाता, वी मनोहर एवं डी.पी. वधवा न्या.मू.)

सेवा विधि - वरिष्ठता - केरल राज्य - सामान्य सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड-2 - सहायक ग्रेड-1 पद पदोन्नति हेत् मानदण्ड उपयुक्तता के अधीन पूर्णतया वरिष्ठता के आधार पर परिवीक्षा की पूर्णता - दो वर्ष की अवधि आवश्यक - अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थीगण 2 लगायत 9 को सहायक ग्रेड-2 नियुक्त किया गया- अपीलार्थी की नियुक्ति पहले किन्तु पद ग्रहण प्रत्यार्थी के पश्चात किया - ग्रेड-2 में रिक्तियां घटित हुई - किसी के द्वारा भी वांछित परिवीक्षा अवधि पूर्ण न करने से, उन्हें अनन्तिम पदोन्नति दी गई - अपीलार्थी को प्रत्यर्थी से वरिष्ठता दी गई - प्रत्यर्थीगण 2 लगायत 9 की पदोन्नति की तिथि अपीलार्थी को दी गई पदोन्नति की तिथि से पूर्व की थी, इस प्रकार अपीलार्थी को कनिष्ठ बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यदयपि अपीलार्थी सहायक ग्रेड-2 के कैडर में प्रत्यर्थी सं. 2 लगायत 9 से वरिष्ठ थी, किन्त् कैडर में उसके पद ग्रहण करने की वास्तविक तिथि प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 की वास्तविक पद ग्रहण तिथि से बाद की थी। परिणाम स्वरूप वे पदोन्नित हेतु अपीलार्थी से पहले योग्य हो गए - अभिनिर्धारित किया गया कि अनन्तिम पदोन्नित सूची में सहायक ग्रेड-2 की बिल मुकाबिल वरिष्ठता रक्षित की गई - नियमित पदोन्नित की तिथि को भी बिल मुकाबिल वरिष्ठता को रक्षित रखना वांछनीय था।

वर्गीस बनाम केरल राज्य (1981) के एल टी 458 निर्देशित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 4356 वर्ष 1984

(केरल उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.ए. नं. 39 वर्ष 1984 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.3.1984 से।)

के. सुकुमारन, सुश्री वेवी कृष्णा, सुश्री कार्थिका एवं आर. जयनाथन अपीलार्थीगण की ओर से।

के.एम.के. नायर - प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय लिखित परीदत्त।

अपीलार्थी को लोक सेवा आयोग की सामान्य सचिवालय सेवा ग्रेड-2 याचिका में दिनांक 23.06.1971 की सलाह के आधार पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् लोक सेवा आयोग ने दो सूचना सूचियां दिनांक 04.07.1971 तथा 17.04.1971 जारी की। इन सूचना सूचियों के फलस्वरूप प्रत्यर्थीगण संख्या 2 लगायत 9 को भी ग्रेड-2 पर नियुक्त किया गया। इन सूचियों में दिखाए गए विभिन्न व्यक्तियों की पद ग्रहण की वास्तविक तिथियां परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न थी तथापि सहायक ग्रेड-2 की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी, प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 से वरिष्ठ थी।

सहायक ग्रेड-2 की अगली पदोन्नति सहायक ग्रेड-1 है। पदोन्नति पूर्णतया पात्रता के अधीन परिष्ठता के आधार पर है। पदोन्नति हेत् योग्यता सहायक ग्रेड-2 द्वारा दो वर्ष की संतोषजनक परिवीक्षा अविध पूरी करना है। दिनांक 03.07.73 को सहायक ग्रेड-1 के पदों की कई रिक्तियां थी। चूंकि कोई भी सहायक ग्रेड-2 परिवीक्षा की अविध पूरी नहीं कर पाने के कारण स्योज्य नहीं था, उन्हें उसी दिनांक के आदेश द्वारा अनन्तिम पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 इस प्रकार आदेश दिनांक 03.07.1973 द्वारा अनन्तिम रूप से पदोन्नत किए गए। इस सूची में भी अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 से वरिष्ठ दिखाया गया है। दिनांक 29.12.1973 को प्रत्यर्थी केरल लोक सेवा आयोग ने 45 सहायक ग्रेड-2 को सहायक ग्रेड की नियुक्ति पदोन्नति का आदेश जारी किया। दिनांक 29.02.1973 के आदेश में प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 को दी गई पदोन्नति तिथि, अपीलार्थी को दी गई पदोन्नति की तिथि से पहले की थी, इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 से कनिष्ठ कर दिया गया। प्रत्यर्थीगण ने प्रतिवादी किया कि ऐसा इसलिए किया गया कि यद्यपि अपीलार्थी सहायक ग्रेड-2 के कैडर में प्रत्यर्थीगण

से. 2 लगायत 9 से विरष्ठ थी, किन्तु उक्त कैंडर में उसकी वास्तविक पद ग्रहण तिथि प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 की वास्तविक पद ग्रहण तिथि से बाद की थी। परिणाम स्वरूप प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 अपनी परिवीक्षा अविध, अपीलार्थी से पहले पूर्ण कर ली थी और इस प्रकार वे पदोन्नित हेतु अपीलार्थी से पहले सुयोग्य हो गए थे। इसी कारण से अपीलार्थी के सहायक ग्रेड-1 के कैंडर में प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 से किनष्ठ बताया गया।

प्रत्यर्थीगण के इस प्रतिवाद को उच्च न्यायालय ने उसी न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय वर्गीस विरूद्ध केरल राज्य (1981) के.एल.टी. 458 के अनुसरण में सही पाया।

वर्तमान प्रकरण में पदोन्नित पूर्णतया संबंधित व्यक्ति की सहायक ग्रेड-2 में विरष्ठता पर निर्भर थी। सहायक ग्रेड-2 में विरष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सूचना की तिथि पर निर्भर थी, क्योंकि सहायक ग्रेड-2 के पद पर सीधी भर्ती की गई थी। यह विरष्ठता सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त की पिरवीक्षा अविध पूरी करने पर निर्भर नहीं है। ऐसा इसलिए है कि पिरवीक्षा अविध की पूर्णतया अनेकों आकिस्मक पिरिस्थितियों पर निर्भर करेगी। पद ग्रहण तिथि भी अनेकों आकिस्मक पिरिस्थितियों पर निर्भर है। विरष्ठता इन आकिस्मक पिरिस्थितियों पर निर्भर है।

अतएव जब अगले उच्च पद पर पदोन्नित दी जाती है एवं पदोन्नित पात्रता के अधीन विरष्ठता पर आधारित है, तो निचले कैंडर में विरष्ठतम व्यक्ति को सामान्य पदोन्नित की जाती है। वर्तमान प्रकरण में, जब उच्च पद की रिक्तियों को दिनांक 3 जुलाई, 1973 को पहली बार भरा जाना

था, तब कोड़ भी सुयोग्य नहीं था, क्योंकि किसी ने भी परिवीक्षा अविध पूरी नहीं की थी। हम नहीं जानते कि रिक्तियां वास्तव में कब उत्पन्न हुई। हमारे पास सिर्फ पहली तिथि 3 जुलाई, 1973 है जब विद्यमान रिक्तियों पर अनन्तिम पदोन्नित की गई। अनन्तिम पदोन्नित सूची में सहायक ग्रेड-2 की आपसी वरिष्ठता स्रक्षित की गई।

नियमित पदोन्नित के आदेश दिनांक 29.12.1973 को जारी किए गए। इस तिथि तक सभी मूल पदधारी सहायक ग्रेड-2 पदोन्नित हेतु सुयोग्य थे तथा वास्तव में अनन्तिम रूप से दिनांक 3 जुलाई, 1973 को पदोन्नित कर दिए गए थे। अतएव नियमित पदोन्नित की तिथि को सहायक ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नित हेतु वरिष्ठता ही प्रमुख होती है।

हमारा सरोकार ऐसे प्रकरण से है जहां नियमित पदोन्नित का आदेश ऐसे समय पर जारी किया गया, जबिक अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 9 पदोन्नित हेतु सुयोग्य थे। अतएव ऐसी पदोन्नित में विरष्ठता के सिद्धान्त को विदाई नहीं की जानी चाहिए, जबिक उस तिथि तक उसकी पालना की गई हो। हम यह जोड़ सकते हैं कि प्रत्यर्थीगण ने नियमित पदोन्नित के आदेश जारी होने तक, सभी संबंधित सहायक ग्रेड-2 द्वारा पिरवीक्षा अविध पूर्ण होने की प्रतीक्षा की। सहायक ग्रेड-1 की पदोन्नित प्रदान करने हेतु विरष्ठता के सिद्धान्त को प्रभाव देने हेतु ऐसा उचित रूप से ही किया गया। तत्पश्चात् नियम 28(ए) में संशोधन करके इस सिद्धान्त को यह स्पष्ट किया गया कि किसी ग्रेड में पिरवीक्षाधीन को उच्च ग्रेड में अपने से कनिष्ठ से पदोन्नित में अतिष्ठित नहीं किया जावेगा, यदि रिक्ती

परिवीक्षा अविध के अधीन उत्पन्न हुई है एवं यदि उसने परिवीक्षा की सफलता पूर्वक संपूर्णता हेतु निर्धारित परीक्षा उत्तीण कर ली हो एवं वह अन्यथा रूप से पदोन्नित हेतु सुयोग्य एवं उचित है, किन्तु उसकी पदोन्नित इस शर्त के अधीन रहेगी कि वह जिस ग्रेड से पदोन्नित किया गया है, में निर्धारित समय में परिवीक्षा पूरी कर लेता है एवं इस उद्देश्य हेतु उसके द्वारा उच्च ग्रेड में की गई सेवा अविध उस ग्रेड में जिससे उसे पदोन्नित किया गया है, में परिवीक्षाधीन ही गिनी जावेगी।

अतएव यह अपील स्वीकार की जाती है एवं उच्च न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथापि खर्च बाबत कोई आदेश नहीं होगा।

टी.एन.ए.

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।